

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 14]

नई दिल्ली, अप्रैल 1—अप्रैल 7, 2012, शनिवार/चैत्र 12—चैत्र 18, 1934

No. 14]

NEW DELHI, APRIL 1—APRIL 7, 2012, SATURDAY/CHAITRA 12—CHAITRA 18, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रलयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय औद्योगिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2012

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2012

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत मंत्रालय (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। विद्युत मंत्रालय (समूह 'घ' पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अंधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विविध कार्य-	62* (2012)	साधारण केन्द्रीय कार्यभार के सेवा, समूह "g"	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन/ वेतनमान	लागू नहीं होता अध्यवाच्यन पद	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)
कर्मचारी		आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.		

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक सेंजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवेशका की अवधि, यदि कोई हो
(7)		(8)		(9)	
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य टिप्पण-अहताएं, अन्यथा सुआहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		लागू नहीं होता		दो वर्ष	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न आमेलन किया जाएगा। पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता					
(10)		(11)			
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा		लागू नहीं होता			
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)			
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जो निम्नलिखित से घिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता।			
1. उप-सचिव या निदेशक (प्रशासन) विद्युत मंत्रालय	—अध्यक्ष				
2. अवर सचिव (प्रशासन) विद्युत मंत्रालय	—सदस्य				
3. अवर सचिव (कार्मिक) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	—सदस्य				